



2026:AHC:7929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 218 वर्ष 2026

बसंत बल्लभ जोशी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	राकेश कुमार मिश्रा
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा, और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे ओपी (चपरासी) के पद पर नियुक्त किया गया था और वह सेवानिवृत्ति के बाद 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हो गया, अब वसूली आदेश तीसरे प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा दिनांक 11.12.2024 को पारित किया गया है और फिर से निर्धारण किया गया है और वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा 07.07.2025 को एक और पारिणामिक आदेश पारित किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में 8,02,210/- रुपये की राशि के प्रलाभ के लिए प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश रिट याचिकाकर्ता को सुने बगैर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, धोखाधड़ी, छिपाने या दुर्यव्यपन का कोई आरोप नहीं है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता का जो भी दावा हो सकता है, उसे तीसरे प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा पहली बार में निर्णय की आवश्यकता है।
6. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए किया गया है और 22.01.2026 तक तीसरे प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति जो इसके बाद रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और रिट याचिकाकर्ता अपना जवाब देगा और उसके बाद दो माह के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आदेश 11.12.2024 और 07.07.2025 पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों का पालन करेंगे। कोई भी प्रलाभ पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।
7. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।